प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
126 वकील वादी उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी की खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा सं0 225/223 रकबा 1.3275 है0 वाके ग्राम मांदडी तहसील तालेडा में पहुच मार्ग हेतु आराजी खसरा सं0 205/158 व खसरा सं0 160 मे से नवीन मार्ग सृजित कर वादी को अपनी कृषि जोत तक पहुच मार्ग उपलब्ध कराने का श्रम करावे। पेरोकार सरकार ने दोराने बहस जवाब दावा एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा सं0 441/337 की सिवायचक भूमि पर मकान बनाकर निवास करते है तथा प्रार्थी अपने मकान से ग्राम मांदडी मे स्थित अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा सं0 225/223 पर आने जाने के लिये रास्ता चाहते है। प्रार्थी का मकान व खातेदारी के बीच स्थित भूमि ग्राम रघुनाथपुरा व ग्राम मांदडी की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा दोनो ग्रामो के नक्शे लट्टे में भी अन्तर नजर आता है। अतः प्रार्थी का दावा अपूर्ण अभिलेख एवं सीमा निर्धारण लम्बित होने के कारण विचारणीय नही है। प्रार्थी का वाद सेट्लमेंट विभाग द्वारा सीमा ज्ञान कराये जाने तक स्थगित/अस्वीकृत किया जाना न्याय संगत होगा। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस उभयपक्ष पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 225/223 रकबा 1.3275 है0 वाके ग्राम मांदडी तहसील तालेडा में पहुच मार्ग हेतु जो रास्ता चाहा गया है वह रास्ता अपने निवास स्थान/घर से अपनी कृषि जोत तक चाहा जाना तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रतीत होता है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा 1 में खातेदार कृषक को अपनी कृषि जोत से सार्वजनिक रास्ते तक पहुच हेतु नवीन रास्ता सृजित किये जाने का प्रावधान है ना की अपनी कृषि जोत से अपने घर तक पहुच हेतु नवीन रास्ता सृजित किये जाने के, वादी द्वारा वाद पत्र में कही भी यह अकंन नही किया है कि वादी अपनी कृषि जोत पर पहुच हेतु किस सार्वजनिक रास्ते से रास्ता चाहता है। ऐसी स्थिति में वादी को कृषि जोत से अपने घर तक पहुच हेतु पृथक से निजी रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	